संख्या- 5/2017/2017/2146/एक-9-2017-रा0-9

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेशा

2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-9 **लखनऊ दिनांक 27 दिसम्बर, 2017**

विषय- भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों के समाधान हेतु श्रावस्ती मॉडल के क्रियान्वयन हेतु सभी जनपदों में विशेष अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया राजस्व अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-1/2017/962/एक-4-2017-11बी-/2012 दिनांक 21, जुलाई, 2017 द्वारा जन शिकायतों के निस्तारण के संबंध में निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्पूर्ण समाधान दिवस पर प्राप्त होने वाली जन शिकायतों में भूमि विवाद सम्बन्धी प्रकरणों और उनका जनसामान्य एवं लोक व्यवस्था पर पड़ने वाले गहन प्रभाव के कारण उनके निस्तरण हेतु दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 31 मार्च 2018 तक विशेष अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। आप अवगत हैं कि भूमि विवाद सम्बन्धी शिकायतों का लम्बे समय तक निस्तारण न होने से जहाँ एक ओर अपराधों में वृद्धि होती है वहीं दूसरी ओर प्राय: कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

3- भूमि विवाद निस्तारण हेतु जनपद श्रावस्ती में एक पारदर्शी व परिणामपरक मॉडल की संरचना कर उसका सफल क्रियान्वयन किया गया, जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त हुए। सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एक विशेष अभियान चलाकर सभी जनपदों में श्रावस्ती मॉडल को प्रभावी तरीके से लागू किया जाय।

4- इस अभियान के अन्तर्गत भूमि सम्बन्धी विवादों के निस्तारण हेतु क्षेत्रीय आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर पूर्व घोषित थानावार/ग्रामवार कार्यक्रमानुसार जन-शिकायतों का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। इस विशेष अभियान के अन्तर्गत भूमि-विवाद सम्बन्धी शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण हेतु निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे है:-

(1) प्रदेश में शिकायतों को दर्ज करके उनके निस्तारण के लिए आई0जी0आर0एस0 प्रणाली पूर्व से लागू है, जिसमें विभिन्न स्रोतो-यथा समाधान दिवस पर प्राप्त, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मण्डलायुक्त, राजस्व परिषद व शासन स्तर पर प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों को दर्ज किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाय कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त भूमि सम्बन्धी विवादों के सभी प्रार्थना पत्र अनिवार्य रूप से आई0जी0आर0एस0 प्रणाली में अंकित हों।

(2) सर्वप्रथम आई0जी0आर0एस0 प्रणाली से भूमि विवाद सम्बन्धी शिकायतों को निकाल कर उन ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर विशेष अभियान के अन्तर्गत लिया जाय जिनमें इस प्रकार की शिकायते की संख्या सर्वाधिक है।

(3) भूमि विवाद सम्बन्धी प्रकरणों के मौके पर निस्तारण हेतु जनपद के प्रत्येक थानावार राजस्व एवं पुलिस विभाग की दस सदस्यीय दो संयुक्त टीमों का गठन किया जाय। इन टीमों में तहसीलदार/नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक तथा न्यूनतम 4 लेखपालों के साथ-साथ पुलिस विभाग के एक सम्बन्धित थाना के थाना प्रभारी/उपनिरीक्षक एवं न्यूनतम 4 कांस्टेबिल को सम्मिलित किया जाये। संवेदनशील स्थानों पर यथावश्यकता कार्मिकों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है।

(4) शिकायतों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामवार/थानावार /तहसीलवार स्थानीय सुविधानुसार मासिक कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह में 02 दिन निर्धारित किया जाय और उसका अग्रिम रूप से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। जन-सामान्य को सूचित कर दिया जाय कि सम्बन्धित पक्षकार कार्यक्रमानुसार अपने साक्ष्यों एवं अभिलेखों सहित मौके पर उपस्थित रहें ताकि संयुक्त टीम द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर यथासम्भव मौके पर ही न्यायोचित कार्यवाही की जा सके व शिकायत का निस्तारण किया जा सके।

(5) जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त टीमों की रवानगी के पूर्व समस्त टीम लीडरों की बैठक आहूत कर मौके पर की जाने वाली कार्यवाही, प्रक्रियात्मक एवं विधिक बिन्दुओं, बरती जाने वाली सावधानियों व कृत कार्यवाही की रिपोर्टिंग आदि के बारे में ब्रीफिंग की जाय तथा उन्हें यह निर्देश दिया जाय कि मा0 न्यायालय में विचाराधीन मामलों को छोड़कर शेष प्रकरणों का समाधान ग्राम के संभ्रान्त लोगो की उपस्थिति में आपसी बात-चीत, सुलह-समझौता के माध्यम से विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जाय।

(6) संयुक्त टीम के सदस्यों को यह भी निर्देश दिये जाये कि यदि समयाभाव अथवा अन्य किसी विशेष परिस्थितियों में किन्ही प्रकरणों का समाधान उसी दिन नहीं हो पाता है, तो संयुक्त टीम द्वारा अगले दिन ग्राम में जाकर मामले का समाधान कराया जाय।

(7) संयुक्त टीम को ऐसे प्रकरणों का भी समाधान कराने के निर्देश दिये जाये, जो पूर्व से आई0जी0आर0एस0 में सूचीबद्ध न हों और ग्राम भ्रमण के समय उनके संज्ञान में आये हो। संयुक्त टीम द्वारा ग्राम में अवशेष भूमि विवादों की जानकारी जन सामान्य से भी प्राप्त की जाय तथा उन्हें भी मौके पर ही निस्तारित कर संयुक्त टीम की वापसी के उपरान्त उनका विवरण एवं कृत कार्यवाही की आख्या आई0जी0 आर0 एस0 में दर्ज किया जाय। यह प्रयास किया जाय कि संयुक्त टीम के भ्रमण के उपरान्त न्यायालयों में विचाराधीन वादों के अतिरिक्त भूमि सम्बन्धी अन्य विवाद शेष न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रह जायं। संयुक्त टीम से उनके भ्रमण के उपरान्त ग्राम के विवाद-रहित होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाय। ग्राम के संभ्रान्त व्यक्तियों को निस्तारण के दिन उपस्थित रहने हेतु भी अनुरोध कर लिया जाय।

(8) संयुक्त टीमों को वाहन आदि आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर निर्वाचन की भॉति सम्बन्धित थानों से रवाना किया जाय व थानों की जी0डी0 में इसका उल्लेख भी किया जाय।

(9) प्रशासनिक तथा पुलिस विभाग के सभी अधिकारयों-जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारीगण द्वारा सम्बन्धित ग्रामों का भ्रमण कर गठित टीमों के कार्य का पर्यवेक्षण व संवेदनशील प्रकरणों में उनका मार्गदर्शन करना सुनिश्चित किया जाय। संवेदनशील व जटिल प्रकरणों का निस्तारण उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारीके मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण व उपस्थित में किया जाय। अति संवेदनशील व अति गंभीर प्रकरण में जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा मार्गदर्शन किया जाय।

(10) जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा सप्ताह में एक अभियान दिवस पर जनसुनवाई के पश्चात रेण्डम आधार पर चयनित कम से कम 01 ग्राम का संयुक्त निरीक्षण अवश्य किया जाय।

इसी प्रकरण अपर जिलाधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सप्ताह में एक अभियान दिवस पर कम-से-कम 02 ग्रामों का संयुक्त निरीक्षण किया जाय।

उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से सम्बन्धित तहसली/थानों में अभियान दिवस पर कार्य कर रही समस्त संयुक्त टीमों का कम से कम एक बार अवश्य भ्रमण किया जाय।

(11) संयुक्त टीम द्वारा अभियान दिवस पर कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त कृत कार्यवाही का पूरा निववरण आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर दर्ज किया जाय। अभियान के दौरान मौके पर प्राप्त नयी शिकायतों व उन पर कृत कार्यवाही का विवरण भी आई0सी0आर0एस0 पोर्टल पर दर्ज किया जाय।

(12) अभियान दिवस पर सीमा सम्बन्धी अथवा मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार सम्बन्धी प्रकरणों को यथास्थिति राजस्व संहिता-2006 की धारा-24 अथवा धारा-25 के अन्तर्गत किया गया निस्तारण मानते हुए निस्तारित किये गये समस्त प्रकरणों की पत्रावलियॉं, जिनमें सुलह-समझौते के आधार पर कराये गये निस्तारण आदि से सम्बन्धित अभिलेख/सुलहनामा आदि उपलब्ध हों, को तहसील स्तर पर संरक्षित किया जाय।

5- विशेष अभियान की सफलता का मापदण्ड यही होगा कि कितने राजस्व ग्रामों को उपरोक्तानुसार भूमि विवाद-रहित बनाया गया व तदनुसार तहसील, थाना एवं जिला स्तर पर शिकायतकर्ताओं की संख्या में कितनी कमी आयी। जिलाधिकारी द्वारा अभियान की मासिक रिपोर्ट अगले माह की 05 तारीख तक निम्न प्रारूप पर राजस्व परिषद के ई-मेल पर प्रेषित किया जाय:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जनपद का नाम	माह.... में भूमि विवाद रहित बनाये गये ग्रामों की संख्या (सूची सहित)	निस्तारित प्रकरणों की संख्या

अतः भूमि विवाद सम्बन्धी शिकायतों के निस्तारण हेतु उपरोक्तानुसार विशेष अभियान का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावी ढंग से किया जाय और अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को समग्र रूप से शिकायतों का निस्तारण करने के लिए प्रेरित किया जाय एवं उनका यथा- आवश्यक मार्गदर्शन भी किया जाय।

भवदीय,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

संख्या- /2146(1)/एक-9-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- स्टाफ आफीसर, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- पुलिस महानिदेशक को इस आशय से कि अपने स्तर से सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि वे अपनी मासिक समीक्षा बैठक में इस विशेष अभियान का अनुश्रवण करें तथा नोडल अधिकारी के रूप में एवं शीतकालीन भ्रमण के दौरान भी मौके पर सत्यापन करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों कों अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।